न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए।
20/02/26 पत्रावली पेश। वकील वादी व स्वयं वादी अनुपस्थित रहे। बार-बार आवाज दिलवाने के बावजूद भी वकील वादी व स्वयं वादी अनुपस्थित रहे। अतः पत्रावली अदम हाजिरी एवं अदम पैरवी के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से खारिज होकर बाद पूर्ति जमा हो। SDO	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, राजगढ़
जिला अलवर (राज0)

हुक्म या कार्यवाही

गोपाल सिंह उर्फ रामगोपाल बनाम अधिशाषी अभियन्ता पी0 डब्लू0 डी0 राजगढ़

प्रार्थना पत्र संख्या– 02 / 81 / 2024

02.04.2024

आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट मय प्रार्थी द्वारा जरिये वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी खसरा संख्या 817 / 0.45, 818 / 0.17 वाके ग्राम स्यालूता तहसील टहला जिला अलवर में स्थित है। उक्त विवादित आराजी के किसी विशिष्ठ भाग में होकर कोई नवीन रास्ता कायम कर सड़क निर्माण न करें न ही प्रार्थीगण की आराजी में मिट्टी खोदे, नप ही प्रार्थीगण के कब्जे काश्त एवं उपयोग–उपभोग में कोई मजाहमत पैदा करें। अन्त में विवादित आराजी के मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने बाबत अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाने का निवेदन किया। साथ में शपथ पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र के संबंध में वकील प्रार्थी ने कथन किया कि विवादित आराजी मे हम प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी है। उक्त भूमि के संबंध में सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है। अतः अप्रार्थीगण को विवादित आराजी के मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया एवं बहस वकील प्रार्थी पर मनन किया। अतः पृथम दृष्टया प्रार्थना पत्र में अप्राथीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः आगामी तारीख पेशी तक अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा संख्या 817 / 0.45, 818 / 0.17 वाके ग्राम स्यालूता तहसील टहला जिला अलवर में तहसीलदार टहला की मौके की रिपोर्ट आने तक मौके की यथास्थिती बनाये रखें। तहसीलदार टहला को मौका रिपोर्ट के लिए तहरीर जारी हो। अप्रार्थीगण जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब होकर पेश हो। एवं प्रार्थीगण रजिस्ट्रर्ड रसीद 3 दिवस में हाजा न्यायालय में पेश करें। इस संवध में अप्रार्थीगण कोई आक्षेप हो तो दिनांक 09.05.2024 को उपस्थित न्यायालय होकर पेश करें।

उपखण्ड अधिकारी राजगढ़
जिला–अलवर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़

मुकदमा या कार्यवाही तथा प्रतिनिधित्व क्रम

[illegible]

3/11/25 पत्रावली [illegible] पेश [illegible] उप [illegible] [illegible] 13/1/26 को पेश हो।

13/01/26 पत्रावली पेश। प्रकरण उप० वास्ते बहस दिनांक 20/02/26 को पेश हो।

20/02/26 पत्रावली पेश। पत्रावली अवलोकन [illegible] एवं [illegible] के तहत [illegible] रजि किया जा चुका है। अतः प्रकरण [illegible] की RT Act की कार्यवाही की जाती है। पत्रावली [illegible] [illegible] मूल [illegible] हो।